न्यायालय अतिरिक्त कलेक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी का नाम : **नारायण सिंह चारण, (R.A.S)**
अतिरिक्त कलेक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़

प्रकरण संख्या 18/2018 (राजस्व अपील) **दायर दिनांक 01.05.2018**

श्री किशनलाल पिता पृथ्वीराज जाट, निवासी जाशमा,
तहसील भूपालसागर,जिला चित्तौड़गढ़
..... अपीलांट

सरकार जरिये तसीलदार भूपालसागर,
तहसील भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़
.....रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश तहसीलदार, भूपालसागर बमिसल नं. 12/2017 भूमि रूपान्तरण आदेश दिनांक 16.03.2018

उपस्थितिः– अपीलांट की ओर से :– वकील श्री चम्पालाल जाट
रेस्पोडेन्ट की ओर से :– पैरोकार सरकार

निर्णय **दिनांक 24.05.2018**

उपरोक्त अनवान प्रकरण पर संक्षिप्त मामला इस प्रकार से है कि अपीलान्ट ने गांव जाशमा में तहसील भूपालसागर की आराजी नम्बर 6317/3722 रकबा 0.0150 जिसका नाप 9.15 बाई 16.40 मीटर अन्दर हल्का आबादी से अटेच होने से आबादी में रूपांतरण हेतु विपक्षी के यहां आवेदन प्रस्तुत किया। आवेदन के साथ पटवार हल्का एवं भू–अभिलेख निरीक्षक की अनुशंसा, पर्चा मौका मोतबीरान दिनांक 11.12.2017 एवं ग्राम पंचायत जाशमा का अनापत्ति प्रमाण–पत्र एवं सहायक अभियन्ता सा.नि.विभाग उपखण्ड भूपालसागर का अनापत्ति प्रमाण–पत्र दिनांक 11.01.2018 नक्शा ट्रेस, जमाबंदी एवं प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्रस्तुत किया। अपीलान्ट हर दृष्टि से भूमि रूपांतरण कराने का पात्र है। भूमि सडक से 26 मीटर से अधिक दूरी पर है फिर भी अधिनस्थ तहसीलदार साहब ने यह तथ्य अंकित कर कि "पत्रावली वकील प्रार्थी श्री शंकर जाट द्वारा प्रस्तुत बावजूद सूचना नही की है एवं प्रस्तावित भूमि रोड के मध्य से 15 फीट की दूरी पर भी है। अतः पत्रावली निरस्त की जाती है, उक्तानुसार प्रार्थी को सूचित करावें।" उपरोक्त कथन अंकित कर पत्रावली अवैध रूप से खारिज की है। उक्त

अतिरिक्त कलेक्टर एवं अपर जिला मजि
अतिरिक्त कलेक्टर
(प्रशासन) चित्तौड़गढ़

आदेश निर्णय की परिभाषा में भी नहीं है, आदेश पूर्णतया स्पष्ट होना चाहिए। ग्राम जाशमा में प्रार्थी की आवेदित भूमि के आस–पास रूपांतरित भूमि है एवं पट्टे प्रदान किये है। उक्त आदेश से स्पष्ट है कि तहसीलदार के समक्ष उक्त दिनांक को कोई पत्रावली नही थी फिर भी उनके द्वारा मात्र श्री शंकरलाल के द्वारा पत्रावली पेश नही करने से खारिज की है, जो पूर्णतया अवैध है। अपीलान्ट की भूमि सडक से 26 मीटर की दूरी पर है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्रावली नही होते हुए 15 फीट से अधिक दूरी की मानकार खारिज की है। अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय में आवेदित भूमि का रूपांतरण न्यायालय आप द्वारा किया जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

प्रकरण को विधिवत दर्ज किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

प्रकरण पर बहस अपीलान्ट सुनी गई जिसमें अपीलान्ट का कथन है कि विवादित आराजी गांव जाशमा की है। ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नही है। अनापत्ति पेश की गई है। सार्वजनिक निर्माण विभाग का भी अनापत्ति प्रमाण–पत्र है। भूमि ग्रामीण सडक से 40 मीटर की दूरी पर है। पर्चा मौका में गांव की गली के अन्दर यह भूमि स्थित है। दिनांक 16.03.2018 को तहसीलदार भूपालसागर द्वारा आदेश पारित किया कि पत्रावली वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नही की गयी एवं सडक मध्य से 15 फीट की दूर होने से पत्रावली निरस्त की जाती है। आवेदन, अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं भूमि निर्धारित दूरी पर है फिर भी आवेदन खारिज कर दिया। अतः अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर प्रार्थी द्वारा ग्रामीण रूपांतरण नियम 2007 के तहत् कृषि भूमि को आवासीय प्रयाजनार्थ रूपांतरण हेतु आवेदन पत्र तहसीलदार भूपालसागर के समक्ष प्रस्तुत किया। प्रकरण पर सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड भूपालसागर एवं ग्राम पंचायत जाशमा से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया प्रकरण पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर नही दिया है। सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड भूपालसागर के अनापत्ति प्रमाण पत्र

अतिरिक्त कलेक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट

अतिरिक्त कलेक्टर
(प्रशासन) चित्तौड़गढ़

दिनांक 11.01.2018 में प्रस्तावति भूमि कि सडक के मध्य से 40 मीटर दूरी दर्शायी गयी है जबकि तहसीलदार भूपालसागर ने दिनांक 16.03.2018 को रोड के मध्य से 15 फीट की दूरी स्थित होना बताया है। इससे स्थिति स्पष्ट नही होती है कि भूमि किस प्रकार की रोड/सडक के मध्य से कितनी दूरी पर स्थित है। अधिनस्थ न्यायालय की कार्यालय टिप्पणी दिनांक 16.03.2018 में उल्लेख किया कि पत्रावली वकील प्रार्थी द्वारा बावजूद सूचना के प्रस्तुत नही की। अतः पत्रावली निरस्त की जाती है। इसी क्रम में दिनांक 26.03.2018 को वकील प्रार्थी द्वारा मूल पत्रावली प्रस्तुत करने का उल्लेख किया है। ऐसी स्थिति में दिनांक 16.03.2018 को कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किये है तो किस प्रकार से आवेदन पत्र निरस्त किया गया है की स्थिति का भी स्पष्ट उल्लेख नही है। केवल मात्र प्रार्थी द्वारा रूपांतरण हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र को दिनांक 16.03.2018 को निरस्त किये जाने के संबध में पत्र क्रमांक 234 दिनांक 28.03.2018 से सूचना पत्र प्रार्थी को भिजवाये जाने का उल्लेख है।

उपरोक्त विवरण एवं तथ्यों के आधार पर प्रथम दृष्टाय प्रार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त अवसर नही दिये गये है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार भूपालसागर के निर्णय दिनांक 16.03.2018 को निरस्त किया जाकर प्रकरण इस आदेश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उपरोक्त तथ्यों के संबंध में पूर्ण जांच कर एवं प्रार्थी को प्रकरण पर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने उपरान्त विधि सम्मत् नये सिरे से निर्णय पारित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 24.05.2018 को खुले न्यायालय में सुनवाया जाकर लिखवाया गया।

24/5

(नारायण सिंह चारण)
अतिरिक्त कलेक्टर
(प्रशासन), चित्तौड़गढ़